न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 174 / 11

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 कुरड़ाराम पुत्र श्री चुनाराम जाति जाट निवासी ग्राम झीगर छोटी तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 जमनी देवी पत्नी श्री चुनाराम जाति जाट निवासी ग्राम झीगर छोटी तहसील धोद जिला सीकर।

2 बनारसी देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी झीगर बड़ी तहसील धोद जिला सीकर।

3 महावीर प्रसाद (मृतक)

3 1 संतोष देवी पत्नी महावीर प्रसाद

3 2 प्रमोद कुमार पुत्र महावीर प्रसाद

3 3 अनिता पुत्री महावीर प्रसाद

3 4 पिंकी पुत्री महावीर प्रसाद नाबालिग जरिये माता संतोष देवी समस्त जाति जाट निवासी झीगर छोटी तहसील धोद जिला सीकर।

4 तहसीलदार धोद जिला सीकर

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय सहायक कलेक्टर
(द्वितीय) सीकर दिनांक 18.07.11
मु. नं. 267 / 2008

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Case Design

उपस्थित

1. श्री अनुराग माथुर अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विधाधर सुण्डा अधिवक्ता रेस्पोडेंट

निर्णय दिनांकः—23.08.18

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 267/2008 में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.07.2011 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 जमनी की और से खसरा नम्बर 447 रकबा 1.38 हैक्टेयर वाके तन झीगर छोटी तहसील व जिला सीकर के सम्बंध में घोषणा विभाजन स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का दावा प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.11 से विभाजन प्रस्ताव की प्राथमिक डिक्री पारित की है जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1 ने यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना, तनकियात कायम किये बिना, पक्षकारान की साक्ष्य लिये बिना विधिक प्रावधानों के विपरीत विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जो पृथम दृष्टया ही अपास्ट योग्य है अतः अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय निरस्त किया जावें। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादीया मूल खातेदार चुना की पत्नी है अपीलांट द्वारा वादिया को मुगालते में रखकर हक त्याग पर हस्ताक्षर करवा लिये गये इससे वादीया का विवादित भूमि में हक एंव अधिकार प्रभावित नही होता है विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Case Design

न्यायालय ने हक अधिकार को ध्यान में रखते हुये विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अपील अपीलांट खारिज की जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद पेश होने के बाद अपीलांट द्वारा जरिये वकील उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं रेवन्यु कोर्ट मेन्युअल के प्रावधानों को अनदेखा कर विचाराधीन वाद में न तो तनकियात कायम की न ही उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिये अपितु सीधे ही विभाजन की विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री पारित कर दी जिसे किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2011 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में वाद एवं जवाब के आधार पर तनकियात कायम करे उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करें तदुपरान्त उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष दिनांक 20-9-18 को विचारण न्यायालय में अपनी उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

23/8/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर